तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./2005/5092/पाली** **सरकार बनाम पुखराज वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/04/26	**एकल पीठ** **श्री केसर लाल मीणा, सदस्य** ——— **उपस्थित :–** श्री शिवप्रकाश चौधरी, विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी। अप्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री एस. पी. सिंह। ——— **निर्णय** 1– यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 24–09–2005 से अभिशंषित करते हुए राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किया गया है। 2– हस्तगत रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार जैतारण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम लाम्बिया तहसील जैतारण स्थित भूमि खसरा संख्या 496, 495, 1191, 822, 820 व 821 कुल रकबा 50 बीघा 6 बिस्वा भूमि खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2011–2030 में डोली श्री बनाम मन्दिर श्री मलराम जी वाके बएतमाम पुजारी गंगाविशन वल्द जेठूजी कौम ब्राहम्ण साकिन देह डोलीदास खुदकाश्त के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि को तत्कालीन पुजारी ने अपने नाम खातेदारी दर्ज करवा दी तथा पुजारी के निधन होने पर भूमि उनके उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज हो जाने से उत्तराधिकारियों के द्वारा अप्रार्थीगण को बेचान कर दिये जाने से नामांतरकरण संख्या 794 व 925 में अप्रार्थी संख्या–1 से 2 के नाम दर्ज हो गई। उक्त हस्तांतरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 (1) (ए) के विपरीत हुआ है। अतः इन हस्तांतरण को निरस्त कराने एवं मंदिर मूर्ति की खातेदारी भूमि को पुनः मूर्ति मंदिर के नाम दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली को प्रेषित किया गया, जिसे दर्ज रजिस्टर करते हुए अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने विरोध करते हुए रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया। उभय पक्ष की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 24–09–2025 से हस्तगत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र मण्डल को प्रेषित कर अनुशंषित किया गया। 3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को हस्तगत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र के गुणावगुण पर सुना गया। बहस के दौरान अधिवक्ता उप राजकीय अधिवक्ता ने रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विवादित भूमि साबिक राजस्व अभिलेखों में मंदिर श्री मल्लरामजी की खुदकाश्त खातेदारी भूमि थी। चूंकि मन्दिर शाश्वत नाबालिग होने से मंदिर माफी की भूमि पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते है, किन्तु गंगाविशन ने मंदिर माफी की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा कर इसे अग्रिम बेचान अप्रार्थीगण को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./2005/5092/पाली** **सरकार बनाम पुखराज वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कर दिया गया। जब गंगाराम को भूमि बेचान करने का अधिकार नहीं था तो अप्रार्थीगण को भी मंदिर की प्रश्नगत भूमि पर कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। मन्दिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग की खातेदारी भूमि होने के कारण उसका अन्तरण किसी भी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता और ना ही उक्त भूमि में किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं। बिना किसी सक्षम आदेश के विवादित भूमि मंदिर के स्थान पर विधि विरूद्ध अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः जमाबन्दी में अप्रार्थीगण के नाम अंकित प्रविष्टियां निरस्त किये जाने योग्य है एवं विवादित आराजी की खातेदारी पुनः डोली श्री बनाम मन्दिर श्री मलराम जी के नाम पर दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रस्तुत रेफरेन्स याचिका स्वीकार की जाये।

4— विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि रेफरेंस गलत तथ्यों के आधार पर लम्बी अवधि के पश्चात् किया गया है। विवादित भूमि अप्रार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29—01—1979 से क्रय की है तथा बाद खरीद से अप्रार्थीगण विवादित भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण का उक्त भूमि में पक्का मकान बना हुआ है तथा सिंचाई हेतु कुआं खुदवाया गया है जिसे ऋण लेकर पक्का बंधवाया गया है एवं भूमि को उपजाउ बनाने हेतु लाखों रूपये खर्च किये गये है। प्रश्नगत भूमि पर मौके पर कोई मंदिर नहीं है एवं ना ही विवादित भूमि पूर्व में मंदिर के नाम दर्ज रही है। भूमि प्रबंध विभाग ने गलत तौर पर खतौनी बंदोबस्त में मंदिर का नाम अंकित कर दिया जबकि गंगाविशन पुजारी नहीं होकर बतौर कृषक काबिज काश्त रहा है जिसे जागीर रिजम्पशन एक्ट 1952 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभावशील होने पर विधिनुसार बॉई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी प्राप्त हुई है। प्रार्थी ने गंगाविशन को पक्षकार नहीं बनाया है एवं ना ही शेष भूमि की खातेदार कमला बेवा शिवजी को पक्षकार बनाया गया है, इसलिये रेफरेन्स पक्षकारों के कुसंयोजन के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। विवादित भूमि कभी भी मंदिर की नहीं रही है एवं ना ही गंगाविशन मंदिर के पुजारी/शेवायत रहे है। भूमि गंगाविशन की खुदकाश्त भूमि है, न कि मंदिर की। प्रार्थी ने यदि उन्हें पक्षकार बनाया जाता तो अवश्य ही प्रकरण में सही व वास्तविक स्थिति प्रकट होती। प्रार्थी ने संवत् 2012 की कोई राजस्व जमाबन्दी पेश नहीं की है। गंगाविशन को विवादित भूमि पर काबिज काश्त होने के आधार पर बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी प्राप्त हुई है। उक्त तथ्यों को विवेचित किये बिना सीधे अप्रार्थीगण के नाम से खातेदारी अंकन नहीं हटाये जा सकते। विवादित आराजी लम्बे समय से अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि है। अतः रेफरेंस अस्पष्ट होने के कारण खारिज किया जावे।

5— उभय पक्ष की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित खसरा संख्या 496, 495, 1191, 822, 820 व 821 मिसल बन्दोबस्त संवत् 2011 से 2030 अनुसार डोली श्री बनाम मन्दिर श्री मलरामजी वाके बएतमाम पुजारी गंगाविशन वल्द जेठुजी कौम ब्राहम्ण सा. देह के नाम दर्ज है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स/एल.आर./2005/5092/पाली</u>** **सरकार बनाम पुखराज वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जबकि जमाबंदी संवत् 2020–2023 अनुसार विवादित भूमि खसरा संख्या 496, 1191, 822, 820, 495 व 821 गंगाविशन वल्द जेठुजी कौम ब्राहम्ण के नाम दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2032–2035 में भी विवादित भूमि गंगाविशन वल्द जेठुजी के नाम दर्ज होकर नामांतरकरण संख्या 794 अनुसार गंगाविशन के बजाय कमला पत्नी शीवा कौम ब्राहम्ण के नाम दर्ज हुई एवं नामांतकरण संख्या 925 अनुसार बेचान से खसरा संख्या 822, 820 व 821 अप्रार्थीगण पुखराज पुत्र रावलराम कुमार 1/2 व भीकाराम पुत्र रावलराम 1/2 के नाम स्वीकृत हुए हैं। जमाबंदी संवत् 2036 से 2039 तक अप्रार्थीगण पुखराज व भीकाराम खसरा संख्या 820, 821 व 822 के खातेदार काश्तकार दर्ज है एवं शेष खसरा संख्या 496, 495 व 1191 की खातेदार काश्तकार कमला बेवा शिवजी कौम ब्राहम्ण है। इसी प्रकार जमाबंदी संवत् 2045–2048, 2049–2052, 2052–2057 व 2057–2060 के अनुसार खसरा संख्या 820 व 822 व 821 अप्रार्थीगण पुखराज व भीका की खातेदारी में दर्ज है। पत्रावली पर बयनामा भी उपलब्ध है जिसमें विक्रेता कमला बेवा शिवराज द्वारा अप्रार्थी पुखराज व भीकाराम को विवादित भूमि खसरा संख्या 820, 821 व 822 बेचान किया जाना दर्शित होता है। प्रार्थी सरकार ने हस्तगत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण पुखराज व भीकाराम के विरूद्ध खसरा संख्या 820, 821 व 822 के संबंध में पेश किया है एवं शेष खसरा संख्या 496, 495 व 1191 की खातेदार कमला बेवा शिवजी को पक्षकार नहीं बनाया है एवं ना ही गंगाविशन को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। हस्तगत प्रकरण में संवत् 2012 की राजस्व जमाबंदी भी महत्वपूर्ण है जिसे पत्रावली के साथ संलग्न नहीं किया गया है। अप्रार्थी का यह तर्क रहा है कि उक्त भूमि गंगाविशन की खातेदारी जागीर रिजम्पशन एक्ट 1952 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विधिक प्रावधानों के तहत् विधिनुसार दर्ज की गई है। प्रार्थी ने अपने रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में यह कहीं स्पष्ट व विवेचित नहीं किया है कि गंगाविशन को विवादित भूमि किस प्रकार प्राप्त हुई है, यह महत्वपूर्ण तथ्य जांच का विषय है। इसकी पुष्टि स्वरूप प्रार्थी ने नामांतकरण की प्रति पत्रावली पर पेश नहीं की है एवं ना ही गंगाविशन को अपना पक्ष रखने हेतु कार्यवाही में पक्षकार बनाया है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफेरेंस किसी निर्णय, आदेश, कार्यवाही *(any case or proceedings decided by or pending before any revenue court subordinate to the collector)* के विरुद्ध ही प्रस्तुत किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में किसी भी निर्णय, आदेश, कार्यवाही को निरस्त कराने का अनुरोध नहीं किया गया है अपितु राजस्व रिकॉर्ड़ में अप्रार्थीगण के नाम वर्तमान अंकनों को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। हमारा यह मत है कि राजस्व अभिलेख के अंकन स्वतः उत्पन्न स्थिति नहीं होती है और राजस्व अंकनों के आधार में कोई न कोई आदेश होता है और जब तक उक्त आदेश को निरस्त नहीं करवाया जावे, तब तक राजस्व अंकनों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। पत्रावली में संलग्न निर्णय अनुसार वर्तमान राजस्व अंकनों का आधार स्पष्ट नहीं है और नही इस सबंध में अतिरिक्त जिला कलेक्टर के आलोच्य आदेश में कोई परीक्षण या टिप्पणी की गयी है। आलोच्य निर्णय में भी अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि '' विवादित भूमि पूर्व मे	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./2005/5092/पाली** **सरकार बनाम पुखराज वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

मंदिर श्री मलराम की होने से उस पर किसी निजी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते। अतः विवादित आराजी के अंकनों को निरस्त कर पुनः मंदिर श्री मलराम के नाम किये जावे।'' किंतु ऐसे किसी भी आदेश/निर्णय/विक्रय पत्र का उल्लेख आलोच्य निर्णय में नहीं किया गया है, जिस आदेश से विवादित आराजी की राजस्व अभिलेख में अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज की हो। जिला कलेक्टर द्वारा यह परीक्षण किया जाना चाहिये था कि पूर्व में मंदिर की भूमि को कब व किस आदेश से किस अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज की गई और उक्त आदेश में क्या अनियमितता हुई है। अप्रार्थीगण के नाम वर्तमान अंकनों को निष्प्रभावी व निरस्त कराने के लिये उक्त आदेश को निरस्त कराना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त संवत् 2012 की जमाबंदी की जांच व परीक्षण करने के उपरांत ही किसी विधिक निष्कर्ष पर पंहुचे बिना हस्तगत रेफेरेंस पर किसी प्रकार का कोई प्रभावी आदेश पारित करना सम्भव नहीं है।

6— प्रकरण में संबंधित दस्तावेजात और अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि पारित किये गये रेफरेंस आदेश में तत्कालीन राजस्व रिकोर्ड के सबंध में तथ्यात्मक और विधिक स्थिति क्या थी और उसका पूर्ण विवेचन एवं परीक्षण किया जाना आवश्यक था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के समय वादग्रस्त भूमियों की राजस्व रिकोर्ड में क्या स्थिति थी, उसका भी परीक्षण किया जाना आवश्यक था, जो रेफरेंस निर्णय में नहीं किया गया है। तत्कालीन समय में वादग्रस्त भूमियों पर कौन काश्त करते थे और ये भूमियां खुदकाश्त में थी या नही और यदि खुदकाश्त में थी तो किसके खुदकाश्त में थी। उसके सबंध में भी तथ्यात्मक और विधिक स्थिति के आधार पर पूर्ण विवेचन व परीक्षण नहीं किया गया है।

7— परिणामतः हस्तगत रेफरेंस को अपूर्ण होने के कारण अस्वीकार करके पुनः अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली को लौटाया जाता है और निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त विवेचन के अनुक्रम में पूर्ण परीक्षण व जांच करते हुए एवं अभिलेखों की स्थिति स्पष्ट करते हुए समस्त हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर यदि उचित एवं आवश्यक समझे तो सभी सबंधित राजस्व रिकोर्ड के साथ पुनः रेफेरेंस प्रस्तुत किया जावे। इस आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केसर लाल मीणा)
सदस्य